आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

विविध अपील वाद सं0-198/2022

रूस्तम साह एवं अन्य

बनाम्

साहेबुद्दिन साह

01.07.2024

आदेश

प्रस्तुत अपीलवाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C. No. 10901/2021 में दिनांक 30.09.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में इस स्तर पर लाया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का मुख्य अंश निम्नांकित है:-

"....the learned counsel for the petitioner seeks liberty on behalf of the petitioner to challenge the order dated 07.04.2021, passed by the Deputy Collector, Land Reforms, Siwan Sadar, in Miscellaneous Case No. 1/2021-2022, by filing appropriate appeal. Liberty, so sought, is granted.

The writ petition stands disposed of."

उभय पक्ष अनुपस्थित।

अभिलेख पर उपलब्ध आवेदक के याचिका का अवलोकन किया। याचिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक एवं विपक्षी के बीच आम रास्ता पर अतिक्रमण को लेकर विवाद है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत भूमि खतियान में गैरमजरूआ आम रास्ता करके इन्द्राज है। आम रास्ता सार्वजनिक उपयोग में आता है, जिसमें किसी प्रकार का अतिक्रमण वैध नहीं है। विविध आवेदन वाद सं0-01/2021-22 में उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, सिवान सदर द्वारा प्रश्नगत रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पचरूखी, जिला-सिवान को निदेशित किया गया है।

आवेदक द्वारा याचिका में अपने पूर्वजो के नाम से प्राप्त हुकुमनामा के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर अपना दावा प्रस्तुत किया गया है, परन्तु इस संबंध में उनके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उपर्युक्त के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद का विषय-वस्तु सार्वजनिक उपयोग में आने वाले आम रास्ता पर अतिक्रमण से संबंधित है, जिसके संबंध में निम्न न्यायालय द्वारा कार्रवाई हेतु संबंधित पदाधिकारी को आदेशित किया जा चुका है। ऐसे स्थिति में प्रस्तुत वाद को इस स्तर पर आगे चलाए जाने की कोई उपयोगिता नहीं है।

उपर्युक्त वर्णित कारण से प्रस्तुत वाद में सुनवाई की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

तदनुसार, प्रस्तुत वाद का निस्तार किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त

सारण प्रमंडल, छपरा।

आयुक्त

सारण प्रमंडल, छपरा।

Scanned with OKEN Scanner